(नियम– 26)

अज अदालत– अपर जिला कलक्टर, मुकाम– नागौर

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

लहराराम पुत्र फौजाराम जाति बणजारा निवासी ताउसर तहसील व जिला नागौर। तहसीलदार नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र नं. 28 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-1-18	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 229/2017 सरकार बनाम लहराराम में प्रार्थी का ग्राम ताउसर के खसरा नं. 354 रकबा 1 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश दिनांक 27.10.17 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आवश्यक प्रकृति होना बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम रूप से सुनवाई आज ही चाही गई है, जिस पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय अन्तरिम रूप से सुना गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभी अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आना शेष है। ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष अप्रार्थी को सुने बिना अन्तरिम स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। पत्रावली दिनांक 10.01.18 को पेश हो। अपर कलक्टर नागौर	
10.1.18	बकुलाक उप.। बिना इनिशियल 20 फाटक नोटिस व अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि. 16.1.18 को पेश हो।	
16.1.18	बकुलाक उप.। पत्रावली मूल अपील के साथ दि. 18-1-18 को पेश हो। अपर कलक्टर, नागौर	
18-1-18	बकुलाक उप.। प्रार्थी की मूल अपील विस्तृत विवेचन के साथ खारिज की जा चुकी है। के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफल शुमार हो नंबर से मुक्त होकर दाखिल दफ्तर हो। अपर कलक्टर, नागौर	